

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं0 3(20)चिस्वा/2/2022/राजकाज-07333

जयपुर, दिनांक:

डा0 पुरुषोत्तम सिंह,
उप निदेशक,
राजकीय चिकित्सालय, नागौर

विषय:-आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2023 को
अस्वीकृत करने की सूचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार
आपके विरुद्ध सिलिकोसिस के गलत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के प्रकरण में विभागीय
जांच की कार्यवाही लम्बित होने के कारण आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र
अस्वीकृत किया जाता है। अतः आपको दिनांक 01.09.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
दिया जाना संभव नहीं है।

भवदीय,

(निमिषा गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक(जन स्वा),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर को प्रेषित कर लेख
है कि कृपया अपने स्तर से भी संबंधित चिकित्सक को अवगत करावें।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
- 3- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, नागौर
- 4- रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.08.29 14:41:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4608182

शासन संयुक्त सचिव



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/पी-545/2023/392

दिनांक : 01/09/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 29.08.2023 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-अजमेर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय नागौर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 पुरुषोत्तम सिंह उप निदेशक का दिनांक 01.09.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन को राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। चिकित्सक पूर्व की भौति अपने पद पर कार्यरत रहेंगे यदि चिकित्सक द्वारा सेवानिवृति पर प्रस्थान कर दिया जाता है तो उनके विरुद्ध सीसीए नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित करावे।
5. डॉ0पुरुषोत्तम सिंह उप निदेशक राजकीय चिकित्सालय नागौर द्वारा क्रम संख्या 4
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी/गोपनीय अनुभाग राजपत्रित मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेसवाईटपर आज ही अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :01-09-2023 04:33:36